

**समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारी,
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।**

कृपया शासनादेश संख्या-3/2020/वे०आ०-1-715/दस-2020-36(एम)/08 दिनांक 05-11-2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा राज्य कर्मचारियों को वित्तीय वर्ष 2019-2020 के लिए 30 दिन के तदर्थ बोनस के भुगतान किये जाने के आदेश दिये गये है।

उक्त के क्रम में अवगत कराना है कि बोनस भुगतान हेतु सुसंगत मद में आपको पर्याप्त बजट उपलब्ध कराया जा चुका है। कृपया शासनादेश में निहित प्राविधानों के अनुसार भुगतान सम्बन्धित कार्यवाही समयान्तर्गत कराया जाना सुनिश्चित करें।

अतः शासन की मंशा के अनुसार वित्तीय वर्ष 2019-20 के बोनस के भुगतान के सम्बन्ध में तयोहार से पूर्व कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।



(शैलेश गिरि)

एडीशनल कमिश्नर(लेखा), वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन पत्र संख्या एवं दिनांक उक्त :-

प्रतिलिपि:- वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी-1, वाणिज्य कर, मुख्यालय को कमिश्नर महोदया के अवलोकनार्थ।

एडीशनल कमिश्नर(लेखा), वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।